न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला —नागौर
पीठासन अधिकारी श्री सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)
अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 08 / 2020

वादी :—

01. विकास पुत्र श्री प्रेमप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी जसनगर, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादी :—

01. प्रेमप्रकाश दत्तक पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी जसनगर, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी

निर्णय

वादी ने यह वाद बाबत् बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया। वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 2529 रकबा 2.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2534 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नं. 2535 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 2536 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2538 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नं. 2537 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है।

यह है कि उक्त खसरा की भूमि पूर्व में वादी के दादा नारायणराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके स्वर्गवास के बाद उक्त खसरा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा पैतृक भूमि है।

यह है कि उक्त खसरा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त खसरान की भूमि में अपना कोई हक व बंट नहीं रखा है। जिससे ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 2529 रकबा 2.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2534 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नं. 2535 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 2536 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2538 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नं. 2537 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जाना न्यायोचित है।

यह है कि ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 2529 रकबा 2.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2534 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नं. 2535 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 2536 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2538 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नं. 2537 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें तथा इसी अनुसार वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को वास्ते जबाब हेतु तलब किया गया। प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के बीच राजीनाम हो चुका है। राजीनाम तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।
प्रकरण में पेश रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारान् के बीच राजीनाम हो चुका है अतः आदेश दिया जाता है कि :—
ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 2529 रकबा 2.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2534 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नं. 2535 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 2536 रकबा

1.2300 हैक्टेयर, खसरा नं. 2538 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नं. 2537 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जाती है तथा इसी अनुसार वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। राजस्व रेकर्ड दुरस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को निर्णय की तहरीर जारी हो। अगर किसी बैंक का रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी

यह निर्णय आज दिनांक 5.8.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी